उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602887

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष :	भाग :	(1)खाता संख्या :
115192	सोनकपुर(मुरादाबाद)	.मुरादाबाद	मुरादाबाद	1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	1	00378

श्रेणी : 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
676मि	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना / ./ .	1) अन्य / 1649/आठ-1 / 17-07-2025 / पुनर्ग्रहण		676मि(1151920676200157)	0.0200	1) -	1) 0.0200	0.00
							0.0200	

कुल गाटे : 1 कुल क्षेत्रफल : 0.0200 (हेक्टेयर) कुल भू.राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0200)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) अन्य / 1649/आठ-1 / 17-07-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 04-10-2025	1.1) बन्जर / . / . (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	676मि(1151920676200157)	1.1) 0.0200	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना / . / .	676मि(1151920676200157)	1.1) 0.0200

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

Scanned with OKEN Scanner

(18.2)वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 20171354150111302 धारा 101 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 25-05-17 के अन्तर्गत श्रीमती माधवी मल्होत्रा बनाम ग्राम सभा मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद मे स्थित भूमि खाता सं 347 गाटा सं 511 रकवा 0.259है0 मे से 0.064है0 से वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा0 लि0 मुरादाबाद का नाम खारिज करके सम्पत्ति ग्राम सभा -नवीन परती- दर्ज हो तथा खाता सं 372 के गाटा सं 556 रकवा 0.028है व गाटा सं 558 रकवा 0.036है पर से सम्पत्ति ग्राम सभा खारिज होकर वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स , मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा0 लि0 मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज हो हआरके01-07-17

2) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 20171354150111302 धारा 101 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक14.7.17 के अन्तर्गत श्रीमती माधवी मल्होत्रा बनाम ग्राम सभा मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद मे स्थित भूमि खाता सं 347 गाटा सं 511 रकवा 0.259है0 मे से 0.064है0 से वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा0 लि0 मुरादाबाद का नाम खारिज करके सम्पत्ति ग्राम सभा -नवीन परती- दर्ज हो तथा खाता सं 372 के गाटा सं 556 रकवा 0.028है व गाटा सं 558 रकवा 0.036है पर से सम्पत्ति ग्राम सभा खारिज होकर वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स , मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा0 लि0 मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज किये जाने के पूर्व पारित आदेश दिनांक 25.5.17 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है ह0आर0के0दि 21.7.17

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO) दिनाँक समय स्थान: 12-02-2026 03:28:43 तहसील : मुरादाबाद यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तेयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 03:28:43 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

मानक आकार पत्र–1

पुनर्ग्रहण आदेश

संख्या–1649/आठ–01/2022–23/रा0राहा0–1 दिनांक: 17-07-2025

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–32/744/एक–1–2016 –20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 व पश्चात्वर्ती निर्गत समविषयक शासनादेश सं0–11/2020/689/एक–1 –2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2016 द्वारा यथासंशोधित की, धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 65 एवं शासनादेश सं0–689/ एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 तथा शासकीय अधिसूचना सं0–688/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आञ्जनेय कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर सशुल्क उपलब्ध कराता हूँ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद पुनर्ग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम–सोनकपुर तहसील मुरादाबाद स्थित ग्राम समाज की भूमि का चार गुना (ग्रामीण–क्षेत्र हेतु) मूल्य, ग्राम सोनकपुर की प्रचलित बाजारू दर, विक्रय पत्र के आधार पर रूपये 2,26,00,000/–प्रति है0 X 0.388 = 87,68,800 X 4 = 3,50,75,200/- मूल्य एवं वार्षिक किराया ग्राम–सोनकपुर की माल गुजारी का पूँजीकृत मूल्य 5.63/–रू0 X 150=845/-रू0 वार्षिक किराया (पुनर्ग्रहण प्रस्ताव में की गयी गणनानुसार) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा करायेंगे तथा जमा की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। इसके उपरान्त ही राजस्व अभिलेखों में आदेश का इन्द्राज किया जाये।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सोनकपुर	675 676मि0 859 860 883मि0	0.024है0 0.020है0 0.178है0 0.065है0 0.101है0	श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर श्रेणी–5–3 बंजर	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु
					कुल 05 किता	कुल रकबा 0.388है0		

उपरोक्त आदेश द्वारा परगना–सदर तहसील व जिला–मुरादाबाद की ग्राम पंचायत सोनकपुर में अनुसूची में उल्लिखित गाटा/क्षेत्रफल में "मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु" आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जा रही है, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथासंशोधित, की धारा–59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियंत्रण अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का होगा।

आज्ञा से

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–5, लखनऊ।
4– जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
5– उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
6– नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
8– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर जनपद–मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश में निर्धारित समस्त धनराशि जमा होने के उपरान्त ही आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराकर उद्धरण खतौनी की 03 प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को कब्जा हस्तगत करायें।
9– प्रधान, ग्राम पंचायत, सोनकपुर, वि0खं0 एवं जनपद–मुरादाबाद।

मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

संख्या– 1002/जि0मु0व्य0सहा0/2024–25 दिनांक– 15-10-2025

विषय– मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज भूमि का, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के निर्णय/स्वीकृति पत्र संख्या 969/आठ–28 (2024–25)/राजस्व–प्रथम, दिनांक 13.10.2025 के क्रम में, ग्राम सोनकपुर, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद स्थित ग्राम समाज की भूमि का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित भूमि विनिमय के सापेक्ष धनराशि रूपये 24,61,700/–(चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियॉं–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व जमा की जानी है।

अतएव आयुक्त महोदय का निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विनिमय के सापेक्ष धनराशि रूपये 24,61,700/–(चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियॉं–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" में जमा कराते हुए जमा चालान की एक प्रति उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद व एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त विनिमय का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराया जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

15/10/25

(गुलाब चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि– उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्राधिकरण से चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात उक्त निर्णय का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में कराकर उद्धरण खतौनियों की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय/स्वीकृति

"जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र सं0–969/जि0भू0व्य0सहा0/पुर्न0/2025–26 दिनॉक 29–09–2025 संशोधित के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज की ग्राम–सोनकपुर तहसील व जिला–मुरादाबाद की भूमि गाटा सं0–674मि0 रकबा 0.3080है0 में से 0.2280है0 व गाटा सं0–676मि0 रकबा 0.4660है0 में से 0.2500है0 अर्थात कुल 0.4780है0 भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–6(2) रास्ता के रूप में दर्ज है, जो प्राधिकरण की योजना के बाउन्ड्री के अन्दर आरम्भ तो हो रही है, परन्तु समाप्त नहीं हो रही है, का ग्राम सोनकपुर/सहयाद्रि आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी भूमि गाटा सं0–645अ रकबा 0.1130है0 में से 0.0140है0, गाटा सं0–647 रकबा 0.5100है0 के अपने बकदर भाग 0.4780है0 में से 0.0940है0, गाटा सं0–649 रकबा 0.2790है0 में से 0.0440है0, गाटा सं0–650मि0 रकबा 0.1940है0 में से 0.0900है0, गाटा सं0–664अ रकबा 0.2310है0 में से 0.1210है0, गाटा सं0–665मि0 रकबा 0.0360हैं में से 0.0210है0, गाटा सं0–686 रकबा 0.0120है0 में से 0.0050है0, गाटा सं0–688 रकबा 0.1210है0 में से 0.0210है0, गाटा सं0–689 रकबा 0.1940है0 में से 0.0500है0 एवं गाटा सं0–695 रकबा 0.1820है0 में से 0.0180है0 अर्थात कुल 10 किता रकबा 0.4780है0, जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–1(क) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से किये जाने हेतु विनिमय प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त विनिमय प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर गठित परीक्षण समिति की बैठक दिनॉक 06–10–2025 को अपर आयुक्त–द्वितीय के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनॉक 06–10–2025 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लिखित किया है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के किसी भाग पर कब्रिस्तान, शमशान या अन्य धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग नहीं है अथवा अन्य कार्य के लिये भी सुरक्षित नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमियों के विनिमय से धार्मिक उत्तेजना की आशंका है। क्षेत्रवासियों के सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। उपरोक्त विनिमय किए जाने से क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाटा सं0–647 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ–साथ अन्य सहखातेदार हैं, सभी सहखातेदारों का मौके पर विभाजन है तथा अपने–अपने भाग पर काबिज है। मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम–सोनकपुर तहसील व जिला–मुरादाबाद स्थित श्रेणी–6(2) रास्ते की भूमि गाटा सं0–674मि0 रकबा 0.3080है0 में से 0.2280है0 व गाटा सं0–676मि0 रकबा 0.4660है0 में से 0.2500है0 अर्थात कुल 0.4780है0 की प्रचलित दर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रूपये 2,06,00,000/–(रूपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रूपये 98,46,800/–(रूपये अठानवें लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित श्रेणी–1(क) भूमि गाटा सं0–645अ रकबा 0.1130है0 में से 0.0140है0, गाटा सं0–647 रकबा 0.5100है0 के अपने बकदर भाग 0.4780है0 में से 0.0940है0, गाटा सं0–649 रकबा 0.2790है0 में से 0.0440है0, गाटा सं0–650मि0 रकबा 0.1940है0 में से 0.0900है0, —

..2पर

गाटा सं0-664अ रकबा 0.2310है0 में से 0.1210है0, गाटा सं0-665मि0 रकबा 0.0360है में से 0.0210है0, गाटा सं0-686 रकबा 0.0120है0 में से 0.0050है0, गाटा सं0-688 रकबा 0.1210है0 में से 0.0210है0, गाटा सं0-689 रकबा 0.1940है0 में से 0.0500है0 एवं गाटा सं0-695 रकबा 0.1820है0 में से 0.0180है0 अर्थात कुल 10 किता कुल रकबा 0.4780है0 की प्रचलित दर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रूपये 2,06,00,000/-(रूपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रूपये 98,46,800/-(रूपये अठानवें लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) आगणित की गयी है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति, सोनकपुर द्वारा भी कृषकों के हितों को दृष्टिकोण रखते हुए विनिमय किये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये लोक उपयोगिता और उपयुक्तता प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि उक्त विनिमय जनहित में उपयोगी और उपयुक्त है तथा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि का सम्पर्क मार्ग भी उपयुक्त है एवं भविष्य में स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा नहीं होगी। परीक्षण समिति का मन्तव्य है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया उक्त विनिमय प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोनकपुर आवासीय योजना के विकास हेतु किया जा रहा है, जो जनहित में है। इसलिये उक्त विनिमय को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त विनिमय शासकीय कार्यहित में किया जाना उचित प्रतीत होता है, की आख्या दी गयी है ।"

अतः मैं, **आञ्जनेय कुमार सिंह** मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनॉक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश सं0-32/745/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनॉक 03 जून, 2016 तथा शासन की अधिसूचना सं0-15/2023/731/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक 03.08.2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामसमाज की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद एवं संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर विनिमय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करता हूँ कि संस्था भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेगी तथा शासनादेश सं0-32/745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनॉक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद कलेक्टर द्वारा विनिमय में सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित की गयी धनराशि रूपये 98,46,800/-का 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्थात रूपये 98,46,800/-का 25 प्रतिशत कुल रूपये 24,61,700/-(रूपये चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) लेखा शीर्षक"0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉं-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व कलेक्टर द्वारा जमा कराया जायेगा।

....3पर

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी परिवर्तन/विनिमय तालिका

क्र0सं0	विनिमय में दी जानी वाली भूमि: श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नवैय्यत	गाटा सं0	रकबा (हे0मे0)	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 मे0)	विनिमय में ली जानी वाली भूमि: श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नवैय्यत	गाटा सं0	रकबा (हे0मे0)	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 मे0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	674मि0	0.3060	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	645अ	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	676मि0	0.4660	0.2500	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	647	0.5100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	649	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	650मि	0.1940	0.0900
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	664अ	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	665मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	686	0.0120	0.0050
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	688	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	689	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	695	0.1820	0.0180
	02 किता	–	–	0.4780	10 किता	–	–	0.4780
क्र0सं0	श्रेणी परिवर्तन उपरांत भूमि की नवैय्यत	गाटा सं0	रकबा (हे0मे0)	श्रेणी परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 मे0)	श्रेणी परिवर्तन उपरांत भूमि की नवैय्यत	गाटा सं0	रकबा (हे0मे0)	श्रेणी परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 मे0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	674मि0	0.3060	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	645अ	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–1(क)	676मि0	0.4660	0.2500	ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	647	0.5100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	649	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	650मि	0.1940	0.0900
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	664अ	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	665मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	686	0.0120	0.0050
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	688	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	689	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी–6(2) रास्ता	695	0.1820	0.0180
	02 किता	–	–	0.4780	10 किता	–	–	0.4780

जिलाधिकारी, मुरादाबाद तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन करना सुनिश्चित करें।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

सं0 89 /आठ–28 (2024–25)रा0सहा0–प्रथम दिनांकः 13 /10 /2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ ।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग–5, लखनऊ ।
3– जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण करें।
4– सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

आयुक्त।

Scanned with OKEN Scanner